

कृषि किसान कल्याण योजना का रीवा जिले के ग्रामीण विकास पर प्रभाव : एक अध्ययन

तनूजा तिवारी^{1*} | मनीष कुमार शुक्ला²

¹शोधार्थी वाणिज्य, शासकीय ठाकुर रणमत सिंह, महाविद्यालय, रीवा, मध्यप्रदेश।

²प्राध्यापक वाणिज्य विभाग, शासकीय ठाकुर रणमत सिंह, महाविद्यालय, रीवा, मध्यप्रदेश।

*Corresponding Author: tanujatiwari00@gmail.com

सार

भारत गाँवों का देश है और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के बिना राष्ट्रीय विकास असंभव है। ग्रामीण भारत में निवास करने वाली सम्पूर्ण जनसंख्या का मुख्य कार्य कृषि है। ग्रामीण विकास का शाब्दिक अर्थ है ग्रामीणों का चहुँमुखी विकास, जिससे वहाँ की जनता का आर्थिक विकास हो सके। जिसमें लघु कृषक, सीमांत, खेतिहर मजदूर और श्रमिक वर्ग के लोग शामिल किये जाते हैं। सम्पूर्ण देश में सभी प्रकार के खाद्यान्नों की आपूर्ति ग्रामीण कृषक ही करते हैं। भारत के किसानों को अन्नदाता कहा जाता है, वास्तविक रूप में इनकी सुरक्षा सरकार व समाज का मुख्य दायित्व होना चाहिए जिससे किसानों को कृषि बीमा पर सरकार का ध्यान आकर्षित किया जाना चाहिये ताकि किसान व उनका पूरा परिवार सुरक्षित रहे। भूमि पर बढ़ते दबाव को देखते हुए उत्पादकता बढ़ाना बेहद जरूरी है। हमारे पास सीमित कृषि भूमि है और वह भी शहरीकरण और औद्योगीकरण की जरूरतों के कारण कम होती जा रही है। कृषि उत्पादन में वृद्धि कर कृषि उत्पादन का अधिक से अधिक निर्यात करना चाहिये। जिससे अपेक्षाकृत अधिक लाभ हो तथा किसानों को भी अधिक धन प्राप्त हो सके। केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा कृषकों के विकास के लिए विभिन्न परियोजनाएँ चलाई जा रही हैं, जिससे ग्रामीण विकास संभव हो सकेगा।

शब्दकोश: कृषि, योजना, ग्रामीण विकास, कृषक, आर्थिक विकास औद्योगीकरण।

प्रस्तावना

मध्यप्रदेश शासन के द्वारा कृषि उत्पादन को प्रोत्साहित किया जा रहा है तथा किसानों के लिये विभिन्न विकास तथा वित्तीय योजनाओं को संचालित किया जा रहा है, जैसे— आइसोपाम योजना, एकीकृत अनाज विकास योजना, अन्नपूर्णा योजना, आई.एन.एम. योजना, बलराम ताल योजना, भू-जल संवर्धन योजना, राष्ट्रीय बायोगैस योजना, नलकूप खनन योजना, सूरजधारा योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, राष्ट्रीय कृषि किसान कल्याण योजना, मध्यप्रदेश कृषि में महिलाओं की भागीदारी योजना, कृषि विस्तार सुधार कार्यक्रम, कृषि यंत्र वितरण योजना, फसल बीमा योजना एवं किसान क्रेडिट कार्ड योजना।

रीवा जिले में कृषि किसान कल्याण योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि विकास की दर को गति प्रदान करने के साथ-साथ फसलोत्पादन तथा उत्पादकता में वृद्धि करना है, जिससे प्रदेश के कृषकों की आर्थिक स्थिति को सम्बद्ध कर उनके जीवन-स्तर को ऊपर उठाया जा सके। इसके अतिरिक्त प्रदेश के क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने के लिए क्षेत्र विशेष हेतु उपयुक्त योजनाओं का क्रियान्वयन एवं कृषकों को रोजगार के नये अवसर प्रदान करना है। इसके अलावा कृषकों को विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त फसलों से अधिक उत्पादन लेने हेतु

विभिन्न योजनाओं के माध्यम से तकनीकी प्रदर्शन का आयोजन एवं उनके परिणामों से कृषकों को परिचित कराना है।

ग्रामीण विकास आमतौर पर अपेक्षाकृत पृथक् एवं कम आबादी वाले क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की आर्थिक खुशहाली एवं जीवन स्तर में सुधार की प्रक्रिया को दर्शाता है। मध्यप्रदेश के अधिकतर लोग कृषि पर आश्रित हैं जिससे यहां की सरकार का हमेशा से ही मुख्य उद्देश्य यहां के किसानों की पैदावार को बढ़ावा देना है और नये कृषि यंत्रों तथा उन्नत बीजों के माध्यम से ही यह संभव हो रहा है।

आज कृषि क्षेत्र में ऐसी परियोजनाओं, अनुसंधान व निवेश की आवश्यकता है जो कृषकों, अनुसंधान व निवेश की आवश्यकता है जो कृषकों, ग्रामीणों, निम्न वर्गों तथा कृषि आधार पर जीवन यापन करने वाले लोगों का आर्थिक विकास कर सके तभी हम एक आर्थिक रूप से सम्पन्न राष्ट्र की कल्पना कर सकते हैं। हमारे कृषि नीति-निर्माताओं को यह सुनिश्चित करना होगा कि नीतिगत ढांचा उपयुक्त हो तथा उत्पादकता में वृद्धि से संबंधित सभी प्रौद्योगिकीय प्रयासों से किसानों को अधिक आय मिले। भारत दुनिया में फल और सब्जी उगाने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश है। हमारी सरकारी नीति अर्थव्यवस्था की महत्वपूर्ण प्रवृत्ति के अनुसार होनी चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में खेती और खेती से संबंधित क्षेत्रों में फलोत्पादक रोजगार के अवसर उत्पन्न किये जाने चाहिये। वैज्ञानिकों, प्रौद्योगिकविदों को कृषि और ग्रामीण विनिर्माण कार्यों का विकास करना होगा जिससे ग्रामीण किसानों को उनके निवास स्थान पर ही रोजगार मिल सके। कृषि में सरकार द्वारा निवेश बढ़ाने पर ध्यान केन्द्रित करते हुये राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की शुरुआत की है। ग्रामीण बुनियादी ढांचे और कृषि विकास में अधिक निवेश से हमारे कृषक समुदाय के कल्याण, किसानों एवं कृषि कामगारों को रोजगार सुनिश्चित हो सकेगा।

शोध का उद्देश्य

शोध पत्र प्रारंभ करने से पूर्व यह निश्चित करना परम आवश्यक होता है कि शोध से संबंधित सूचनाओं का गहन अध्ययन करना नवीन प्रश्नों का निर्माण, अवधारणाओं एवं समझ को विकसित करने हेतु तत्त्वों का पता लगाना तथा नवीन सम्भावनाओं को खोजना शोध कार्य का प्रमुख उद्देश्य माना जाता है। शोध की अवधारणा प्रत्येक क्षेत्र में होती है, जिससे प्रत्येक क्षेत्र को और अधिक सशक्त बनाया जा सके। अध्ययन का क्षेत्र तो बहुत व्यापक है, परन्तु व्यापक क्षेत्र में ही शोध के निश्चित उद्देश्यों से संबंधित तथ्य ही एकत्र किये जायेंगे। प्रस्तावित शोध पत्र से संबंधित कुछ प्रमुख उद्देश्यों का निर्माण किया गया है, जो इस प्रकार है—

- रीवा जिले में ग्रामीण विकास की आधारभूत संरचना का अध्ययन करना।
- कृषि किसान कल्याण योजनाओं का ग्रामीण क्षेत्र के विकास पर प्रभावों का अध्ययन करना।
- अध्ययन क्षेत्र में इन योजनाओं के माध्यम से कृषकों की आर्थिक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ा है।

उपरोक्त उद्देश्यों को दृष्टिगत रखते हुए शोध पत्र को वास्तविक मानकों के अनुरूप पूर्ण करने का सार्थक प्रयास किया गया है।

शोध प्रविधि

प्रस्तुत शोध पत्र में प्रयोग किये जाने वाले तथ्यों को प्राथमिक एवं द्वितीयक स्रोतों के माध्यम से एकत्रित किया गया है। जिसके लिए प्राथमिक समकों के संकलन हेतु शोधार्थी द्वारा लोगों से व्यक्तिगत सम्पर्क कर प्रश्नावली के माध्यम से मौलिक समकों को संकलित किया गया है। द्वितीयक समकों का संकलन शासकीय एवं गैर शासकीय सूचनाओं, पत्र-पत्रिकाओं एवं प्रकाशनों इत्यादि से एकत्रित किये गये हैं। प्राथमिक समकों को वर्गीकृत कर सारणीयन के पश्चात् विश्लेषणात्मक अध्ययन कर परिणाम प्राप्त किये गये हैं। प्रस्तुत शोध पत्र में अवलोकन, सर्वेक्षण, निदर्शन, इत्यादि प्रविधियों का भी यथा सम्भव प्रयोग किया गया है।

विश्लेषण

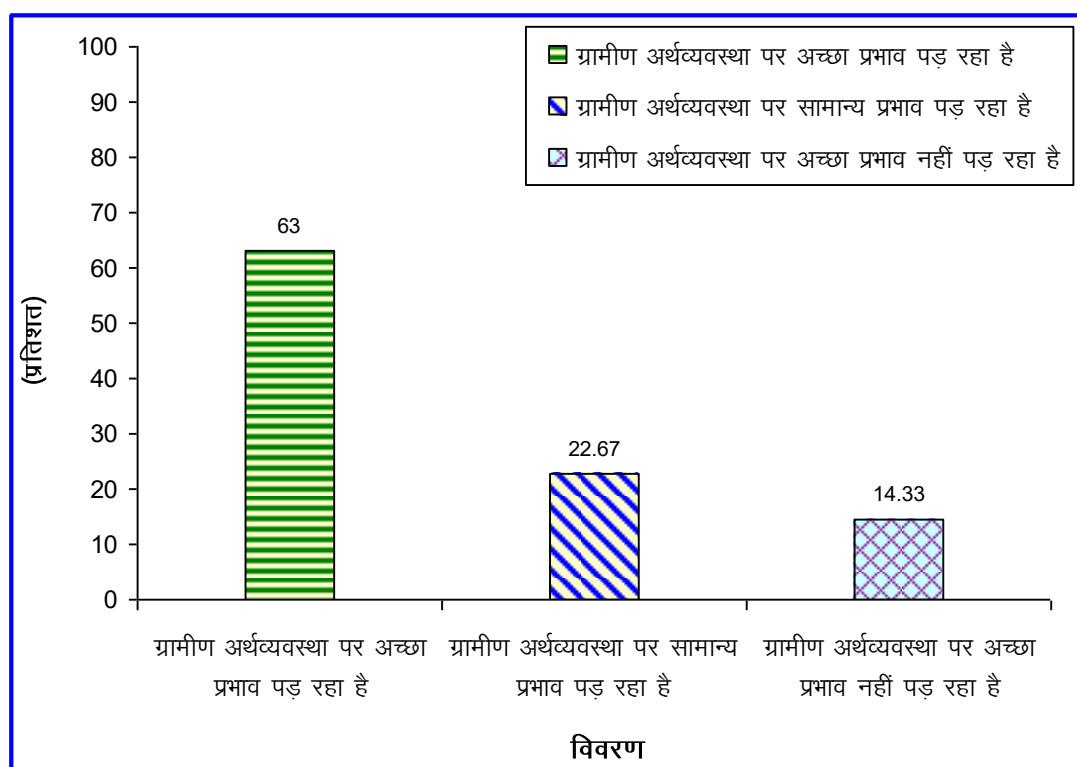
अध्ययन क्षेत्र में कृषि किसान कल्याण योजना के क्रियान्वयन से यहां के ग्रामीण अंचलों के विकास एवं कृषकों की आर्थिक दशाओं पर पड़ने वाले प्रभावों का मूल्यांकन करने हेतु रीवा जिले से 300 कृषक उत्तरदाताओं का प्रत्यक्षतः दैव-निर्दर्शन प्रविधि के सविचार विधि का उपयोग कर चयन किया गया है और इस प्रकार चयनित उत्तरदाताओं से सम्पर्क स्थापित कर प्रश्नावली के माध्यम से प्राथमिक समकों का संग्रहण किया गया है, जिन्हें सरल व बोधगम्य बनाने हेतु सारणीबद्ध किया गया, ताकि यह मूल्यांकित किया जा सके कि कृषि किसान कल्याण योजना का प्रभाव ग्रामीण क्षेत्रों व कृषकों पर कैसा है। अतः मौलिक रूप में एकत्रित किये गये आकड़ों को निम्नानुसार प्रस्तुत कर विश्लेषणात्मक अध्ययन किया गया है—

- **अध्ययन क्षेत्र की ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर प्रभाव** — रीवा जिले की ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर कृषि किसान कल्याण योजना के प्रभाव का आकलन करने के लिए प्राथमिक स्तर पर चयनित किये गये कृषक परिवार के सदस्यों से सर्वेक्षणोपरान्त समकों को प्रश्नावली के माध्यम से एकत्रित किया गया है, जिसे सारणी क्रमांक 01 में प्रस्तुत किया गया है, जो इस प्रकार है—

सारणी 1: ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर कृषि किसान कल्याण योजना का प्रभाव

क्रमांक	विवरण	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
1.	ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर अच्छा प्रभाव पड़ रहा है	189	63.00
2.	ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर सामान्य प्रभाव पड़ रहा है	68	22.67
3.	ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ रहा है	43	14.33
	कुल योग	300	100.00

स्रोत— व्यक्तिगत सर्वेक्षण।



आरेख 1: ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर कृषि किसान कल्याण योजना का प्रभाव।

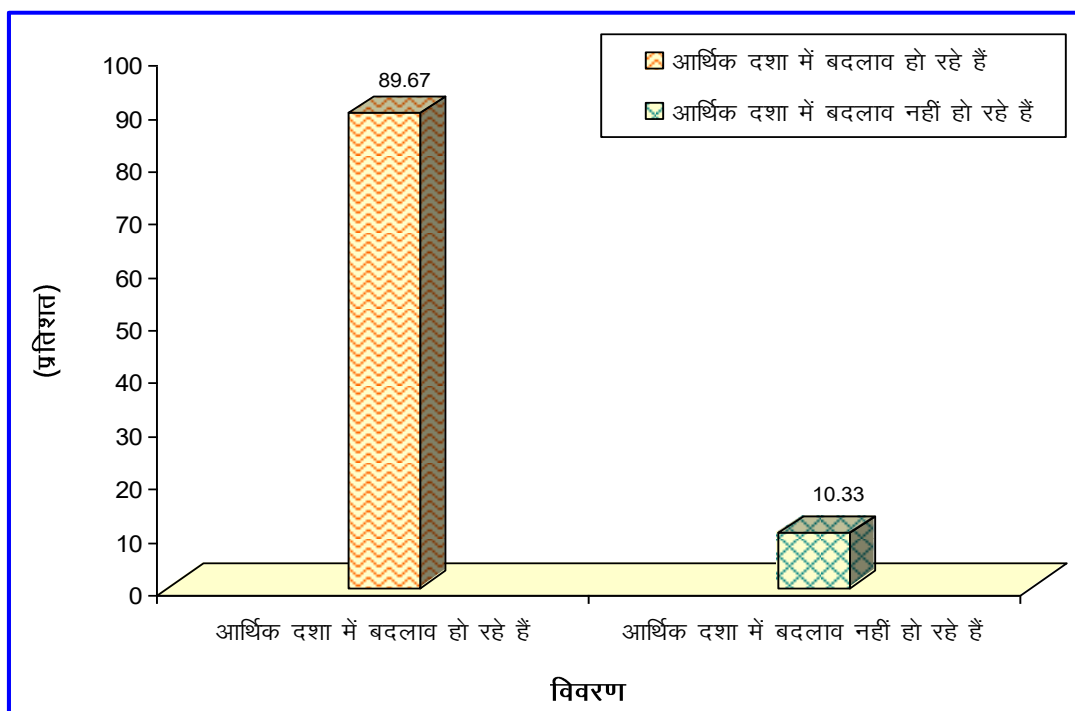
उपरोक्त सारणी क्रमांक 01 एवं आरेख से स्पष्ट होता है कि रीवा जिले के ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास में कृषि किसान कल्याण योजना सहायक है। क्योंकि प्राथमिक स्तर पर सर्वेक्षित कुल 300 कृषकों में से 189 लोगों ने इस योजना से ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास होने को स्वीकारा है जिनका प्रतिशत 63.00 है। जबकि वहीं 68 लोगों ने माना है कि उक्त योजना से ग्रामीण अर्थव्यवस्था का सामान्य रूप में विकास हो रहा है जिनका प्रतिशत 22.67 है और 43 लोगों ने माना है कि कृषि किसान कल्याण योजना से ग्रामीण अंचलों का विकास नहीं हो रहा है जिनका प्रतिशत 14.33 है। अतः निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि कृषि किसान कल्याण योजना का संचालन होने से रीवा जिले के ग्रामीण अंचलों की अर्थव्यवस्था का सतत् रूप में विकास बना हुआ है जिससे कृषकों के लाभार्जन व आय अर्जन की क्षमता में वृद्धि हुयी है, जिसकी वजह से अध्ययन क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों का वर्तमान तकनीकी तौर पर विकास सम्भव हो रहा है।

- **कृषकों की आर्थिक दशा में बदलाव संबंधी विवरण** – अध्ययन क्षेत्र के कृषकों की आर्थिक दशा में परिवर्तन लाने में कृषि किसान कल्याण योजना की सार्थकता का आकलन करने हेतु प्राथमिक स्तर पर चयनित कृषकों से सर्वेक्षण करते समय साक्षात्कार प्रश्नावली के माध्यम से मौलिक समकों का संग्रहण किया गया है, जिसे सारणी क्रमांक 02 में प्रस्तुत कर विश्लेषणात्मक विवेचन किया गया है—

सारणी 2: कृषकों की आर्थिक दशा में परिवर्तन का विवरण

क्रमांक	विवरण	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
1.	आर्थिक दशा में बदलाव हो रहे हैं	269	89.67
2.	आर्थिक दशा में बदलाव नहीं हो रहे हैं	31	10.33
	कुल योग	300	100.00

स्रोत— व्यक्तिगत सर्वेक्षण।



आरेख 2: कृषकों की आर्थिक दशा में परिवर्तन का विवरण

उक्त सारणी क्रमांक 02 एवं आरेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि रीवा जिले में कृषि किसान कल्याण योजना के संचालन होने से कृषकों की आर्थिक दशा सकारात्मक रूप में बदल रही है जिसे सर्वेक्षित कृषकों में से 269 लोगों ने माना है जिनका प्रतिशत 89.67 है, जबकि वहीं शेष 31 लोगों ने माना है कि इससे कृषकों की आर्थिक दशा नहीं बदली है जिनका प्रतिशत 10.33 है। अतः निष्कर्ष स्वरूप में कहा जा सकता है कि अध्ययन क्षेत्र के कृषि किसान कल्याण योजना का क्रियान्वयन होने से कृषकों की आर्थिक दशा सकारात्मक रूप में परिवर्तित हो रही है। इससे कृषक वर्ग नवीन तकनीकों के माध्यम से कृषि उत्पाद की उत्पादकता को बढ़ाने में सफल हुये हैं, जिसका प्रभाव उनकी आर्थिक दशा पर सकारात्मक रूप में पड़ रहा है और कृषक वर्ग के आय अर्जन की क्षमता में वृद्धि हुयी है।

शोध समस्याएँ एवं सुझाव

रीवा जिले में कृषि किसान कल्याण योजना के अंतर्गत किसानों के हित में अनेक योजनाएँ लागू की गई हैं, जिनमें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, फसल बीमा योजना, कृषि यांत्रिकीकरण इत्यादि प्रमुख हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य किसानों की आय में वृद्धि करना, कृषि लागत को कम करना तथा ग्रामीण क्षेत्र में समग्र विकास को बढ़ावा देना है। किंतु इन योजनाओं के क्रियान्वयन में अनेक समस्याएँ देखी जा रही हैं। सबसे प्रमुख समस्या यह है कि ग्राम स्तर पर किसानों को योजनाओं की समुचित जानकारी नहीं मिल पाती, जिससे वे योजना लाभ नहीं उठा पाते हैं। इसके अतिरिक्त लाभार्थियों की पहचान प्रक्रिया में भी पारदर्शिता की कमी है, जिससे कई पात्र किसान योजना से वंचित रह जाते हैं। योजनाओं के संचालन में स्थानीय स्तर पर भ्रष्टाचार और बिचौलियों की भूमिका भी चिंता का विषय है। किसानों में आधुनिक कृषि पद्धतियों, तकनीकी उपकरणों और डिजिटल सेवाओं के प्रयोग का अभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, क्योंकि उन्हें इससे संबंधित प्रशिक्षण नहीं मिल पाता है। साथ ही बैंकिंग प्रणाली और वित्तीय संस्थानों से दूरी के कारण किसान ऋण, बीमा तथा अन्य वित्तीय सेवाओं का लाभ नहीं उठा पाते हैं। जिले की भौगोलिक विविधता और जलवायु असमानता के कारण भी योजनाओं का प्रभाव सभी क्षेत्रों में एक समान नहीं देखा जाता, जिससे समावेशी विकास बाधित होता है।

उपरोक्त समस्याओं के समाधान हेतु योजनाओं के प्रचार-प्रसार की व्यापक व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि अधिक से अधिक किसान उनके लाभ से अवगत हो सकें। ग्राम पंचायतों, कृषि अधिकारियों, और स्थानीय शैक्षणिक संस्थाओं के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाना इस दिशा में एक प्रभावी कदम हो सकता है। किसानों को डिजिटल साक्षरता तथा मोबाइल ऐप, पोर्टल आदि के उपयोग में दक्ष बनाया जाना चाहिए जिससे वे योजनाओं की जानकारी और सेवाएँ ऑनलाइन प्राप्त कर सकें। योजनाओं की निगरानी हेतु ग्राम स्तर पर पारदर्शी समितियाँ गठित की जाये, जिनमें स्थानीय किसान प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाये। कृषि विज्ञान केंद्रों एवं कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा नियमित रूप से प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जायें, ताकि किसान आधुनिक कृषि तकनीकों, जैविक खेती, जल संरक्षण, और फसल विविधता जैसे विषयों से परिचित हो सकें। किसानों को एकीकृत कृषि सेवा केंद्रों के माध्यम से बीज, खाद, सिंचाई सुविधा, फसल बीमा, बाजार मूल्य आदि की जानकारी और सेवाएँ एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई जानी चाहिए। जलवायु अनुकूल कृषि मॉडल को अपनाने हेतु प्रेरित किया जाए और लाभार्थियों की पहचान प्रक्रिया में आधुनिक डिजिटल डाटा, भू-अभिलेख और आधार लिंक व्यवस्था का प्रयोग किया जाए। यदि इन सुझावों को प्रभावी ढंग से लागू किया जाए, तो निश्चित रूप से रीवा जिले में कृषि किसान कल्याण योजना के माध्यम से ग्रामीण विकास को तीव्र गति प्रदान की जा सकती है।

निष्कर्ष

कृषि किसान कल्याण योजना का रीवा जिले में ग्रामीण विकास पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। इस योजना से किसानों की आय में वृद्धि, बेहतर कृषि पद्धतियों को अपनाने और ग्रामीण क्षेत्रों में समग्र विकास में योगदान किया है। इस योजना के तहत किसानों को आर्थिक सहायता, तकनीकी मार्गदर्शन और संसाधनों की

उपलब्धता ने कृषि उत्पादन में सुधार और जीवन स्तर में परिवर्तन लया है। इस योजना के प्रभाव से ग्रामीण अर्थव्यवस्था में गति आई है, रोजगार के अवसर बढ़े हैं एवं कृषि क्षेत्र में नवाचार और आधुनिक तकनीकों का प्रयोग बढ़ा है। हालांकि इस योजना की पहुंच और लाभ को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता, पारदर्शिता और निगरानी की गुणवत्ता को और सुदृढ़ करना आवश्यक है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. यादव, सत्यभान – कृषि विपणन : प्रभावी व्यवस्था की आवश्यकता, कुरुक्षेत्र, वर्ष 2021
2. जैन, हेमचन्द्र – कृषि वित्त सिद्धांत एवं व्यवहार, मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, भोपाल, वर्ष 2019
3. जैन, डी.पी. – कृषि अर्थशास्त्र, कैलाश पुस्तक सदन, भोपाल, वर्ष 2014
4. सिन्हा, डॉ. वी.पी. – कृषि ग्रामीण अर्थशास्त्र, एस.बी.पी.डी. पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली, वर्ष 2011
5. नागर, डॉ. विष्णुदत्त एण्ड डॉ. बल्लभदास मेहत – भारतीय अर्थव्यवस्था, मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, सातवां संस्करण, वर्ष 2008
6. देसाई, वी. – ग्रामीण विकास कार्यक्रम एवं नीतियाँ हिमालय पब्लिकेशन, नई दिल्ली, वर्ष 1988
7. सिंह, सुभाष चंद्र – कृषि विकास और ग्रामीण अर्थव्यवस्था, विज्ञान प्रकाशन, नई दिल्ली, वर्ष 2022
8. कृषि विज्ञान केन्द्र रीवा – रीवा जिले में कृषक प्रशिक्षण एवं योजना लाभ की स्थिति पर तकनीकी रिपोर्ट, वर्ष 2022

